संख्या-16/2015/1606-प्रो0/51-2015-20(03)/2015

प्रेषक,

अमित गुप्ता,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

मुख्य मंत्री कार्यालय प्रोटोकाल अनुभाग लखन - दिनांक 28 मई, 2015

विषय राज्य अतिथि घोषित महानुभावों के लिए वाहन व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में पधारने वाले अति विशिष्ट/विशिष्ट महानुभावों को उ0प्र0 राज्य अतिथि नियमावली, 2011 के अन्तर्गत राज्य अतिथि घोषित किया जाता है तथा नियमावली में इंगित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रवास, भोजन व परिवहन की व्यवस्था की जाती है। इन मदों पर होने वाले व्यय का भुगतान प्रोटोकाल विभाग द्वारा किया जाता है। उ0प्र0 राज्य अतिथि नियमावली के प्रस्तर-11 में यह प्राविधान है कि किसी राज्य अतिथि (भारत के अन्य राज्यों के प्रमुखों तथा मुख्य मंत्रियों, केन्द्रीय मंत्रियों, संसद में नेता विरोधी दल के शासकीय दौरों को छोड़कर) को शासन/प्रशासन द्वारा केवल जिला मुख्यालय के भीतर की जाने वाली स्थानीय यात्राओं के लिए मोटर गाडी की, यदि अपेक्षित हो व्यवस्था की जायेगी।

2- प्राय: ऐसा देखा जा रहा है कि ऐसे महानुभावों, जिन्हें जिला मुख्यालय के अन्तर्गत केवल स्थानीय यात्रा हेतु ही वाहन उपलब्ध कराया गया है, के देयक जो जनपदों से प्राप्त हो रहे हैं, उनमें अधिकांशत: वाहन के मद में बहुत अधिक मात्रा में व्यय दर्शाया जा रहा है। सम्भव है कि जानकारी के अभाव में वाहन का उपयोग जिला मुख्यालय के बाहर की यात्रा हेतु कर लिया गया हो। यद्यपि कि प्रोटोकाल विभाग द्वारा राज्य अतिथि घोषित महानुभाव के आदेश में वाहन के उपयोग की स्थिति स्पष्ट की जाती है।

3 अत- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कपया प्रदेश में पधारने वाले ऐसे महानुभाव, जिन्हें शासन द्वारा राज्य अतिथि घोषित करते हुए जिला मुख्यालय के अन्तर्गत ही वाहन की सुविधा अनुमन्य की जाय, को वाहन का उपयोग जिला मुख्यालय के अन्तर्गत केवल स्थानीय यात्रा हेतु ही अनुमन्य किया जाए।

4 क़पया उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमित गुप्ता
विशेष सचिव